न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

..... बनाम .....

03/7/19 पक्ष वकील गैर हाजिर

पत्रावली प्राप्त हुई। वादी की ओर से दिनांक 15/2/17 एवं 07/8/17 को Regd AD द्वारा प्रतिवादीगण को तलबी हेतु तलबाना पेश करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु वादी द्वारा इन दिनांकों तक प्रतिवादीगण/इंजीनियर की तलबी हेतु Regd AD तलबाना पेश नहीं किया है न ही Post office की रसीद पेश की है। न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है। अतः वादी/प्रार्थी अर्थ प्रार्थना पत्र 212 RTA द्वारा वकील श्री. स्थगित किया जाता है। पत्रावली दिनांक पुनः पेश, तब तक स्थगित होवे। वादी वकील हाजिर रहना होगा।

2015
644
रामसिंह

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner